अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉंची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 – 35 /2023

06

31.05.2023

राज्य

बनाम

आशीष रंजन पिता –मुधसुदन चौरसिया निवासी ग्राम लपरा थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला–रांची (झारखण्ड) ....विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची के पत्रांक 240/डी०सी०बी० दिनांक 05.03.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी आशीष रंजन पिता –मुधसुदन चौरसिया निवासी ग्राम लपरा थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला–रांची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:–

1. मैक्लुस्कीगंज थाना कांड सं०–15/21 दिनांक 23.05.2021 धारा 395/412 भा०द०वि०
2. मैक्लुस्कीगंज थाना सन्हा दैनिकी सं० 21/23 दिनांक 18.02. 2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची ने यह प्रतिवेदित किया है कि वरीय पुलिस उपाधीक्षक, खलारी रॉंची के कार्यालय का ज्ञापांक–231/2023. दिनांक 19.02.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी आशीष रंजन पिता –मुधसुदन चौरसिया निवासी ग्राम लपरा थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला–रांची जो वर्तमान में जेल से बाहर है। इनका मुख्य पेशा उग्रवादी एवं हथियार का भय दिखाकर लुटपाट एवं चोरी करना इत्यादि हैं। इनके भय के कारण आम जन इनके विरूद्ध पुलिस एवं न्यायालय तक नहीं जाना चाहते है। इनके विरुद्ध गवाह प्रस्ततु नही होने के फलस्वरूप ये जेल से आसानी से छुट जाते है। इनके विरूद्ध कई अपराधिक कांड भी दर्ज है इससे इनके

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प[illegible] कारवाई व[illegible] टिप्पणी, ता[illegible] साथ।
1	2	3

असमाजिक तत्व होना प्रमाणित होता है। जिससे लोक व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा – धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के अनुसार विपक्षी मैक्लुस्कीगंज थाना कांड सं०–15/21 मे जमानत पर है तथा बराबर न्यायालय मे उपस्थित रहते है। इस कांड मे विपक्षी का नाम अभियुक्त के स्वीकृति ब्यान के आधार पर आया है। विपक्षी के खिलाफ सन्हा दैनिकी बेबुनियाद आधर पर दर्ज किया गया है। विपक्षी किसी भी आपराधिक व्यक्ति के सम्पर्क मे नही रहते है। विपक्षी मैक्लुस्कीगंज मे स्टुडेन्ट हॉस्टल के बच्चो समेत अन्य को टयुशन पढाते है। विपक्षी ना तो कोई गलत कार्य किये एवं ना ही भविष्य मे कोई गलत कार्य करेंगे।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी द्वारा दायर कारण पृच्छा सिर्फ अपने बचाव मे दिया गया है, जो संतोषप्रद नही है। विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। इनका मुख्य पेशा उग्रवादी एवं हथियार का भय दिखाकर लुटपाट एवं चोरी करना इत्यादि है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी आशीष रंजन पिता –मुधसुदन चौरसिया निवासी ग्राम लपरा थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला–रांची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी आशीष रंजन पिता –मुधसुदन चौरसिया निवासी ग्राम लपरा थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला–रांची को दिनांक 10.06.2023 से दिनांक 09.09.2023 तक की अवधि के लिए मैक्लुस्कीगंज थाना, राँची में प्रत्येक रविवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0

सूची 14 – फारम सं0 563

क्रम तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 3

10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 09.06.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 10.06.2023 से दिनांक 09.09.2023 तक प्रत्येक रविवार मैक्लुस्कीगंज थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी आशीष रंजन पिता –मुधसुदन चौरसिया निवासी ग्राम लपरा थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला–रॉची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति आशीष रंजन पिता –मुधसुदन चौरसिया निवासी ग्राम लपरा थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला–रॉची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
रॉची

जिला दण्डाधिकारी
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.25 21:07:06 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cd9:605:3f57:d4b9